IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सशक्तिकरण में भारतीय कानून एवं सरकारी योजनाओं की भूमिका: एक अवलोकन

डॉ. संध्या शर्मा

एम.एससी. (कम्प्यूटर साइंस), एम.ए. (हिन्दी), सेट पी.एचडी.

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरुकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखे तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण एवं बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसतापूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए, उन्हें पुरुषों के साथ-साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियंत्रण प्राप्त करती है। अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती है।

सशक्तिकरण शब्द का विच्छेद है स+शक्ति+करण । जिसमें 'स' उपसर्ग है 'शक्ति संज्ञा है, विशेषण तथा करण प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है सशक्तिकरण। इसका ध्वनि अर्थ है- शक्ति सहित गत्यात्मकता (गति)। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, निरन्तर चलने वाली। निर्बल से सबल बनने की प्रक्रिया। एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से सम्बन्धित निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो, सामासिक संदर्भा में जिस पर विवाह, संतानोत्पत्ति तथा व्यवसाय आदि से सम्बन्धित विषयों पर घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का दवाव न हो। इस प्रकार स्त्रियों के संदर्भ में सशक्तिकरण की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

आदिम युगीन मानव समाज स्त्री पुरुष के भेदभाव से रहित था। सब साथ मिलकर शिकार करते, खाते और रहते थे। शिकार के लिए गुफाओं से बाहर जाने की आवश्यकता होती थी। बच्चों को जन्म और जीवन देने का वरदान प्रकृति से स्त्री को ही मिला है। शिशुओं के लालन-पालन का दायित्व के कारण कालान्तर में नारी की भूमिका घर की चार दीवारी तक सीमित होने लगी। प्रगति, परिवर्तन, और विकास के कृम में पुरुष की प्रधानता बढ़ती गई और स्त्री की भूमिका गौण होती गई इतना ही नहीं परम्पराओं और रीति-रिवाजों की की आड़ में कुछ ऐसी अवैज्ञानिक और तर्कहीन मान्यताओं ने जनमानस के मस्तिष्क में गहरी जड़े जमा ली जिनसे मुक्ति पाना अब भी एक चुनौती है।

महिला सशक्तिकरण का आधार - विश्व में नारी आंदोलन व भारत में इसका प्रभाव -

विश्व में नारी आंदोलन की नींव 19 वीं शताब्दी में ही रखी गई। पश्चिम के कई राष्ट्र उस दौर में इस आंदोलन में भागीदार बने। नारी आंदोलन जब सामने आए तब ही स्त्री सशक्तिकरण की एक अवधारणा दुनिया के समक्ष प्रमुखता से आई। इसलिए स्त्री सशक्तिकरण को समझने के लिए नारी आंदोलन को समझना भी अतिआवश्यक है। सरल शब्दों में कहें तो नारी आन्दोलन की शुरुआत समाज द्वारा नारी को निम्नतर समझने से हुई। नारीवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इस पितृसतात्मक समाज में स्त्री को हीन दर्जा प्राप्त है। यह समाज ही उसके लिए जीवन जीने के नियम और स्वरूप को गठित करता है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नकार देता है। नारी आंदोलन किसी पुरुष का नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक विचार का विरोध करता है। यह आंदोलन मानता है कि स्त्री को भी पुरुष के बराबर सम्मान, अधिकार व अवसर मिले। नारी आंदोलन लैंगिक असमानता के स्थान पर इस अवधारणा को मानता है कि स्त्री भी एक पुरुष है। मनुष्य होने के साथ-साथ वह दुनिया की आधी आबादी है। सृष्टि के निर्माण में उसका मी उतना ही सहयोग है जितना कि पुरुष का।

नारी आंदोलन का पहला चरण 19 वीं सदी का उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के प्रारम्भ होने का है। अमरीका के शहरी, उदारवादी और औधोगिक माहौल में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य था।

दूसरी लहर साठ के दशक से शुरू हुई मानी जाती है।. इसमें यह पहचान की गयी कि कानून व वास्तविक असमानताएं दोनों आपस में जटिलतापूर्वक जुड़ी हुई है। यह द्वितीय लहर की प्रतिक्रिया के परिणाम फलस्वरूप उत्पन्न हुई इसमें दूसरी लहर के द्वारा नारीत्व की दी हुई परिभाषा को चुनौती दी गई। वैश्विक रूप में जिस प्रकार नारीवाद को देखा जा रहा या उसे गढ़ा जा रहा था उसी क्रम में उसी के साथ भारत में भी महिलाओं की स्थितियों को लेकर लगातार समाज सुधार के व्यापक प्रयास हो रहे थे। लेकिन

इसका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा पश्चिम में रहा है। भारत में नवजागरण अर्थात उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसकी शुरुआत मानी जाती है जो 1915 के आस-पास तक रहती है। यह उत्थान समाज सुधार व राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहा था। इसमें अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज, बाल विवाह, सती प्रथा व देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज आदि की बात उठाई गई। राजा राम मोहनराय, स्वामी विवेकानन्द, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा व सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई जैसे लोगों ने तत्कालीन समाज के अनुसार स्त्रियों की समस्याओं को दूर कर उनके लिए एक अनुकूल माहौल बनाकर व उनको सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।

भारत में स्त्री को सशक्त करने की दिशा में नारी आंदोलनांे का दूसरा दौर जो लगभग भारत में गांधी के आगमन के साथ आरम्भ होता है। यह 1915 से आरम्भ हुआ माना जाता है, यह वो दौर था जब महिलाएं एक आह्वान पर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही थी। यह वही दौर है जब 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। इस समय गांधी व अम्बेडकर जी द्वारा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास सराहनीय रूप से देखा जाता है। महात्मा गांधी बड़े व्यावहारिक रूप से पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन व विधवाओं की समस्याओं तथा छुआछूत के उन्मूलन की बात कर रहे थे। दूसरी ओर ऐसे ही कार्य डॉ. अम्बेडकर कर रहे थे जहाँ उन्होनें महिलाओं केा मताधिकार दिलाने, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने व समानता के अधिकार को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत में इसका तीसरा चरण जो अभी तक देखा जा सकता है उसके प्रमुख बिन्दु महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार भारत में महिला सशक्त होने की दिशा में नारीवादी आंदोलन ने एक मुख्य भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्त होने के तमाम पहलू व उसमें आने वाली चुनौतियाँ भी कम नहीं है।

महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम -

महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए इसके विभिन्न आयामों को समझना आवश्यक है, इस धारणा के मूल में स्त्री-पुरुष को एक दूसरे का पूरक समझते हुए समतामूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना निहित है। इस प्रक्रिया के अनेक आयाम हैं जैसे-

1. शैक्षिक सशक्तिकरण
2. शारीरिक/ स्वास्थ्य सम्बन्धी सशक्तिकरण
3. आर्थिक सशक्तिकरण
4. सामाजिक सशक्तिकरण
5. विधिक सशक्तिकरण
6. राजनैतिक सशक्तिकरण
7. भावनात्मक सशक्तिकरण

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए गए है, उसे अपने जीवन की गरिमा को संतुलित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी नारी को अपनी प्रतिभा दिखाने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। महाभारत काल के बाद नारी की इस स्थिति में गिरावट आयी, उससे शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। धीरे-धीरे नारी की स्थिति दयनीय एवं चिंताजनक होती गयी। वर्तमान संदर्भों में देखें तो समय के साथ-साथ महिलाओं की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आ रहा है। समय करवट ले रहा है। दमन, दलन और उत्पीडन से मुक्त होकर नारी जाागरूक हो रही है। आज नारी विकास की ओर अग्रसर है। वह हर क्षेत्र में अपनी एक अनोखी पहचान बना रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यह आधुनिक युग की नारी का स्वरूप है।

नारी समाज को प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायक रही है.। समाज का पूर्ण विकास तभी संभव है जब पुरुष और नारी दोनों का समान विकास हो। दोनों को व्यवहारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हो। मात्र एक वर्ग के विकास से समाज में असंतुलन ही पैदा होगा। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं में साक्षरता, जागककता, आत्मनिर्भरता बढाने के समन्वित, संगठित प्रयास हो क्योंकि वास्तविकता यह है कि आज भी अधिकांश महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों और उनके विकास के लिए बनाई गई शासकीय और गैर शासकीय योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

भारतीय संविधान एवं महिला सशक्तिकरण-

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और उनमें किए गए महिलाओं हेतु प्रावधान इस प्रकार है-

अनुच्छेद 14 - राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करता चाहे वह महिला हो या पुरुष।

अनुच्छेद 15(3) - महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 16 - लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता।

अनुच्छेद 19 - समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 23, 24 - नारी क्रय-विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक।

अनुच्छेद 39 (घ) - स्त्री पुरुष दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 42 - महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता।

अनुच्छेद 46 - राज्य के दुर्वल वर्गो के लिए शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा।

अनुच्छेद 47 - लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है।

अनुच्छेद 51क(ड़.) - प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करे।

अनुच्छेद 243 (घ) (न)- पंचायतीराज एवं नगरीय संस्थाओं में 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था।

अनुच्छेद 325 - निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

भारतीय दंड सहिता में महिलाओं के लिए कानून -

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गए है, ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सकें तथा सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सके। भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं पर होने बाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गई है।

दहेज हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान -

दहेज हत्या को लेकर भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) में स्पष्ट प्रावधान है इसके अंतर्गत धारा 304 बी, 302, 306 एवं 498 ए आती है।

धारा 304 बी - दहेज हत्या का अर्थ है औरत की जलने या किसी शारीरिक चोट के कारण मौत या शादी के 07 साल के अन्दर किन्हीं संदेहजनक कारण से हुई मृत्यु। इसके सम्बन्ध में धारा 304 (बी) में सजा दी जाती है। जो कि 07 साल कैद है। इस जुर्म के अभियुक्त को- जमानत नहीं मिलती।

धारा 302 - आई.पी.सी. की धारा 302 में दहेज हत्या के मामले में सजा का प्रावधान है इसके तहत किसी औरत की दहेज हत्या में अभियुक्त का अदालत में अपराध सिद्ध होने पर उम्रकैद या फांसी हो सकती है।

धारा 306- अगर ससुराल वाले किसी महिला को देहज लिए मानसिक या भावनात्मक रूप से हिंसा का शिकार बनाते हैं जिसके चलते वह औरत आत्महत्या कर लेती है तो धारा 306 लागू होगी जिसके तहत दोष साबित होने पर जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है।

धारा 498 (ए) - पति या रिश्तेदार के द्वारा दहेज के लालच में महिला के साथ क्रूरता और हिंसा का व्यवहार करने पर आई.पी.सी. की धारा 498(ए) के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।

यौन अपराध एवं बलात्कार सम्बन्धित कानून-

देश में बलात्कार के लगभग 80 प्रतिशत मामलों में सबूतों के अभाव, धीमी पुलिस जांच में अभियुक्तों को सजा नहीं मिल पाती थी लेकिन नये कानून के अनुसार बलात्कार के मामलों में चिकित्सा सबूत अपर्याप्त होने के बाद भी महिला का बयान ही काफी समझा जाना चाहिए। अधिकतर महिलायें ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने से भी डरती हैं क्योंकि इससे उनका और उनके परिवार का सम्मान जुडा होता है।

बलात्कार की शिकार महिला को महिला वकील देने का प्रावधान किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ महिला ही एक महिला को सही तरह समझ सकती है। अगर कोई पीड़ित महिला चाहे तो अपनी पसंद का वकील चुन सकती है।

धारा 375 - आई.पी.सी. की धारा 375 के तहत जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विकद्ध संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते है। बलात्कार तब माना जाता है यदि किसी पुरुष के द्वारा स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति डरा धमकाकर ली गई हो, उसकी सहमति नकली पति बनाकर ली गई हो, जबकि वह उसका पति नहीं हो उसकी सहमति तब ली गई है, जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो।

धारा 376- भारतीय दण्ड संहिता आईपीसी की धारा 376 में बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाएँ

भारत सरकार ने विभिन्न गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू किया। इन कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष घटक है। वर्तमान में भारत सरकार के पास विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा संचालित महिलाओं के लिए 37 से अधिक योजनाएं है। इन कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की विशेष रूप से महिलाओं की कवरेज के संदर्भ में निगरानी की जाती है।

इनमें से कुछ इस प्रकार है-

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
2. लगभग 9000 गांवों में महिला समाख्या क्रियान्वित की जा रही है।
3. आजीविका और इंदिरा आवास योजना
4. जेंडर बजटिंग योजना (ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना)
5. सिडबी की महिला उद्यम निधि महिला विकास निधि।
6. एन.जी.ओ. की क्रेडिट योजनाएँ।
7. राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन।
8. राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.) 1992-1993
9. किशोर लड़कियों के सशकिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.पी.) (2010)
10. स्वावलम्बन
11. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (ैज्म्च्) के लिए सहायता।
12. बेटी पढ़ाओं, बेटी बचाओ योजना
13. प्रधानमंत्री रोजगार योजनी (पी.एम.आर.वाई)
14. इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना।
15. रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ज्त्ल्ैम्ड)
16. एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस. 2009-20)
17. स्वाधार
18. स्वयं सिद्धा
19. इंदिरा महिला केन्द्र
20. एस.बी.आई. को श्री सखी योजना
21. महिला समिति योजना
22. महिला उद्यमी विकास कार्यक्रम को 1997-98 में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
23. धनलक्ष्मी
24. कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राष्ट्रीय बैंक
25. खादी और ग्रामांद्योग आयोग
26. कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास।
27. उज्जवला (2007)
28. कामकाजी महिला मंच
29. महिला समृद्धि योजना (डैल्) अक्टूबर 1993
30. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)
31. स्वयं शक्ति समूह
32. शार्ट स्टे होम्स
33. महिला विकास निगम योजना (डब्ल्यू.डी.सी.एस.)
34. इंदिरा महिला योजना (आई.एम.वाई)

सन्दर्भ -

1. महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा विषयक चुनौतियां- डॉ. नीश कुमार
2. महिला सशक्तिकरण डॉ. नाज परवीन, डॉ. सरिता रानी
3. महिला सशक्तिकरण एवं वैश्वीकरण -डॉ. ज्ञान प्रकाश गौतम
4. https://www.dristiias.com
5. महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्वालियर